

कार्यकारी सार

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, जो भारत सरकार के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है, की स्थापना 1957 में की गई थी जिसका उद्देश्य क्रेडिट पर निर्यात के जोखिमों को कवर करते हुए देश से किए जाने वाले निर्यात को उत्प्रेरित करना था। यह क्रेडिट बीमा पॉलिसियों/कवरों में डील करने वाली सामान्य बीमा कम्पनी के रूप में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के पास पंजीकृत है।

यह लेखापरीक्षा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य बैंकों को जारी किए गए कवरों तथा निर्यातकों को जारी लघु अवधि पॉलिसियों से संबंधित जोखिमों का उत्तरदायित्व लेने और दावों के निपटान के लिए विद्यमान प्रणाली की प्रभावकारिता के निर्धारण की दृष्टि से 2008-09 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान कम्पनी के प्रचालनात्मक निष्पादन की जांच करना था। लेखापरीक्षा के दौरान, बड़े दावों से बचने के लिए विद्यमान जोखिम को कम करने के उपायों की भी जांच की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

बैंकों को जारी कवरों का उत्तरदायित्व लेने में कमियां

कम्पनी ने बैंकों को उन निर्यातकों द्वारा की जाने वाली चूक से बचने के लिए समग्र टर्नओवर कवर प्रस्तावित किए थे जिन्होंने पैकिंग क्रेडिट अथवा पश्च लदान क्रेडिट का लाभ उठाया था। 2008-09 से 2010-11 के दौरान, कम्पनी ने 108 समग्र टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट (डब्ल्यूटीपीसी) कवर 36 बैंकों को तथा 92 समग्र टर्नओवर पश्च लदान (डब्ल्यूटीपीएस) कवर 31 बैंकों को जारी किए। डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत 34 बैंकों को जारी 102 कवरों तथा डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत 29 बैंकों को जारी 86 कवरों की समीक्षा दर्शाती थी कि उपर्युक्त अवधि के दौरान डब्ल्यूटीपीसी के अन्तर्गत ₹ 665.78 करोड़ का लाभ तथा डब्ल्यूटीपीएस के अन्तर्गत ₹ 191.72 करोड़ की हानि थी।

(पैरा 2.2)

29 बैंकों जिन्हें डब्लूटीपीएस कवर जारी किए गए थे, में से 13 बैंकों का दावा प्रीमियम अनुपात (सीपीआर) 200 प्रतिशत से अधिक था और इसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 309.27 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी के पास प्रतिकूल दावा अनुपात को नियंत्रित करने के लिए डब्लूटीपीएस के अन्तर्गत प्रोत्साहन तथा दण्डात्मक कार्रवाई की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी।

(पैरा 2.2.1)

निर्यातकों को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों के प्रति संघ करार एक बढ़े हुए क्रेडिट जोखिम की स्थिति थी और कम्पनी को इस व्यवस्था के बारे में उनके चूक की रिपोर्ट फाईल करने पर ही पता चलता था। लेखापरीक्षा में जांचे गए 29 दावों में से, 26 दावों में संघ के अन्तर्गत नौ बैंक शामिल थे तथा वे केवल एक ही वस्तु अर्थात् हीरा से संबंधित थे। बैंकों ने हीरे के निर्यात से संबंधित ₹ 518.87 करोड़ के मूल्य के लिए चार निर्यातकों को 477 अग्रिम दिए जो अन्ततः ₹ 278.43 करोड़ के दावे में परिवर्तित हो गए। उपर्युक्त 477 अग्रिमों में से ₹ 322.67 करोड़ के 310 अग्रिमों की विस्तृत जांच ने दर्शाया कि 240 अग्रिम जिनमें ₹ 170.10 करोड़ के दावें आये उन निर्यातकों को दिए गए थे जो हाँग काँग आधारित क्रेता थे। वही व्यक्ति मालिकों अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में थे जो एक से अधिक क्रेता के लिए निरूपित करते थे। बैंकों ने उन नौ क्रेताओं के लिए ₹ 133.90 करोड़, के 83 अग्रिम दिए जो ₹ 67.21 करोड़ के भुगतान के दावे सहित तीन व्यक्तियों को निरूपित करते थे। संघ सदस्य बैंकों ने ₹ 12.83 करोड़ के लिए चार निर्यातकों को अग्रिम दिए जिसमें उन क्रेताओं को किए गए निर्यात शामिल थे जिन्होंने पहले चूक की थी।

(पैरा 2.2.2)

कम्पनी ने बैंकों द्वारा प्राप्त क्रेता जांच रिपोर्टों जोकि पुरानी अथवा असन्तोषजनक अथवा पश्च दिनांकित थी के बावजूद ₹ 316.13 करोड़ के दावों का भुगतान किया।

(पैरा 2.2.3)

निर्यातकों के व्यक्तिगत जोखिमों का उत्तरदायित्व लेते हुए, कम्पनी ने बैंक मूल्यांकन प्रणाली को किसी एक्सेस के बिना बैंकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर ही भरोसा किया। स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली के अभाव में ज़ूम डेवेलपर्स लिमिटेड जैसे बड़े जोखिमों के मामले में भी कम्पनी ने परियोजनाओं का समापन सुनिश्चित किए बिना अविवेकपूर्ण ढंग से अपनी प्रति गारंटी जारी रखी। ये गारंटियां पांच

वर्ष से अधिक के लिए दी गई थी हालांकि इन गारंटियों की सामान्य वैधता छः महीने थी। परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण क्रेताओं द्वारा गारंटियां लेने के कारण दावे प्रस्तुत हुए तथा कम्पनी पर संभावित निवल दावा देयता ₹ 1047 करोड़ परिकलित की गई।

(पैरा 2.2.4)

बैंको ने उन क्रेताओं पर आहरित बिलों पर बट्टे दे कर पश्च लदान अग्रिम संस्वीकृत किए जो पहले से ही कम्पनी की चूककर्ता सूची में शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.40 करोड़ के दावे का भुगतान हुआ। चार अन्य क्रेता जिन्होंने जनवरी 2009 से फरवरी 2010 के दौरान अग्रिमों की अदायगी में चूक की थी और जहां कम्पनी ने दावों के रूप में ₹ 20.73 करोड़ का भुगतान किया था चूककर्ताओं की सूची में नहीं रखे गए थे।

(पैरा 2.2.7)

दावों के निपटान के पश्चात्, कम्पनी की शाखाओं से यह अपेक्षित था कि वे बैंकों के साथ वसूलियों को आगे बढ़ाएं तथा इस संबंध में शाखा-वार लक्ष्य भी नियत किए गए थे। हमने यह भी देखा कि लम्बित वसूलियां 2008-09 में ₹ 2170 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 2628 करोड़ हो गई थी। इन वर्षों के दौरान की गई वास्तविक वसूलियां 2008-09 में ₹ 151.29 करोड़ से घट कर 2010-11 में ₹ 110.65 करोड़ हो गई जो अपर्याप्त वसूली प्रयासों का सूचक था।

(पैरा 2.2.10)

निर्यातकों को जारी लघु अवधि पॉलिसियों में कमियां

वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्राचलों पर आधारित क्रेताओं के मूल्यांकन तथा समग्र सीमा (ओएल) के नियतन में कमियां थी। लेखापरीक्षा में चुने गए 98 में से 48 क्रेताओं में कम्पनी ने क्रेताओं के बारे में नवीनतम तथा पूर्ण वित्तीय सूचना प्राप्त किए बिना अथवा क्रेडिट सूचना एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्टों के बावजूद ओएल नियत किए/बढ़ाए जिनमें ₹ 158.40 करोड़ तक के दावों का भुगतान शामिल था।

(पैरा 3.3)

कम्पनी ने घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान की चूक का जोखिम कवर करते हुए एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी) के पक्ष में अगस्त 2007 में कस्टोमाइज्ड पॉलिसी जारी की जिसका अगस्त

2008 में नवीकरण किया गया था। तथापि, उसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि एमएसटीसी तथा उसकी सहायक कम्पनियों के बीच संबंध स्थापित करने की एमएसटीसी की कोई बीमायोग्य हित था, हालांकि उसे पता था (जुलाई 2007) कि माल की खरीद और लदान सहायकों द्वारा किया जाएगा और एमएसटीसी एक केनेलाइज़िंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। एमएसटीसी ने अपनी तीन सहायक कम्पनियों द्वारा किए गए लदानों के संबंध में क्रेताओं की चूक के कारण ₹ 452.81 करोड़ कुल मूल्य के 37 दावे फाईल किए (मार्च 2009 से नवम्बर 2009 के बीच)। उपर्युक्त दावों में नवम्बर 2008 तथा दिसम्बर 2008 के दौरान अर्थात् कम्पनी को एमएसटीसी तथा उसकी सहायक कम्पनियों के बीच एमओए का पता लगने के बाद, किए गए छः लदानों के संबंध में ₹ 5.57 करोड़ की राशि शामिल थी।

(पैरा 3.4)

यह देखा गया था कि हालांकि निर्यातक पॉलिसी की नियम एवं शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, फिर भी कम्पनी ने उनके द्वारा किए गए दावों का भुगतान किया। 31 मार्च 2011 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान, हमने देखा कि 155 में से 88 दावों में, कम्पनी ने चूकों/विचलनों को माफ करके तथा एक नाममात्र राशि घटाने के बाद ₹ 145.19 करोड़ का भुगतान किया। उपर्युक्त में से, ₹ 36.08 करोड़ के 30 मामलों में, किए गए उल्लंघनों में गंभीर चूकें शामिल थी।

(पैरा 3.5)

निर्यातकों को प्रदत्त दावों के प्रति क्रेताओं से वसूल की गई राशि 2008-09 में ₹ 946.27 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 1341.76 करोड़ हो गई। कम्पनी द्वारा की गई वसूली की दर 2008-09 से 2010-11 के दौरान 4.13 प्रतिशत से 5.58 प्रतिशत के बीच थी।

(पैरा 3.6)

पर्याप्त पुनर्बीमे के बिना जोखिम मान्यता

कम्पनी की मध्यम तथा दीर्घावधि जोखिम अर्थात् परियोजना निर्यात 31 मार्च 2011 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान ₹ 2100 करोड़ से ₹ 5984 करोड़ थे।

(पैरा 4.3.1)

कम्पनी ने 2010-11 में एक्सेस ऑफ लॉस सुरक्षा नहीं ली। वर्ष के दौरान दो निर्यातकों के संबंध में ₹ 157.27 करोड़, के बड़े दावे थे। उपर्युक्त बचाव के अभाव में, समस्त राशि कम्पनी को ही वहन करनी पड़ी। एक्सेस ऑफ लॉस सुरक्षा से ₹ 101.55 करोड़ की वसूली हो सकती थी।

(पैरा 4.3.2)

सिफारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- कम्पनी को डब्ल्यूटीपीएस में कम दावा अनुपात के साथ बैंकों को प्रोत्साहित करने की और उच्च दावा अनुपात के साथ बैंकों को हतोत्साहित करने की प्रभावी प्रणाली प्रारंभ करने की आवश्यकता है। कम्पनी को प्रोत्साहन/हतोत्साहन के बेंचमार्क के लिए प्रासमिक दावा प्रीमियम अनुपात बनाने के लिए भी विचार करना चाहिए।
- कम्पनी को बैंकों के बीच संघ करार से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनानी चाहिए जिससे उसके वित्तीय हितों की रक्षा के लिए बीमा करने के समय संकेन्द्रण का मूल्यांकन किया जा सके।
- लेखापरीक्षा ने पहले की गई सिफारिश को दोहराया कि दावों के जोखिम को कम करने के लिए, कम्पनी को बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वह अग्रिमों की संस्वीकृति से पहले विदेशी निर्यातकों की ऋण पात्रता का सत्यापन करें। कम्पनी को बैंकों से क्रेताओं की ऋण पात्रता को समुचित परिश्रम से किए जाने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए।
- कम्पनी को ओएल निर्धारित करते समय दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय प्राचलों को उचित महत्व देते हुए क्रेताओं के मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनानी चाहिए।
- निर्यातकों द्वारा गंभीर चूकों को माफ कर दावों के निपटान को केवल अपवादित आधार पर किया जाना चाहिए।
- कम्पनी को क्रेताओं से वसूली की प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे वह अन्य देशों के साथियों से मेल खाए।
- कम्पनी को वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता और अस्थिरता के प्रति सुरक्षा के लिए उसकी अरक्षितता अनुरूप उचित पुनर्बिमा सुरक्षा की जरूरत है।